रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 155] नई दिल्ली, सोमवार, मई 29, 1972/ज्येष्ठ 8, 1894
No. 155] NEW DELHI, MONDAY, MAY 29, 1972/JYAISTHA 8, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

RAJYA SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th May, 1972

G.S.R. 300(E).—In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (3) of section 9 of the Salaries and Allowances of Members of Parliament Act, 1954 (30 of 1954), the Joint Committee constituted under sub-section (1) of that section, after consultation with the Central Government, hereby makes the following rules further to amend the Housing and Telephone Facilities (Members of Parliament) Rules 1956, the same having been approved and confirmed by the Chairman of the Council of States and the Speaker of the House of the People as required by sub-section (4) of the said section, namely:—

1. These rules may be called the Housing and Telephone Facilities (Members of Parliament) Amendment Rules, 1972.

2. In the Housing and Telephone Facilities (Members of Parliament) Rules, 1956, after rule 2, the following rule shall be inserted namely:—

"2-A. *Retention of Government accommodation after the death of a Member.*—In the case of death of a member during the term of his office, the members of his family shall be entitled to retain the accommodation on the same rate of rent as was payable by the member immediately before his death for a maximum period of two months after which the allotment shall be deemed to be cancelled."

[No. RS. 8/72-M.S.A.]

B. N. BANERJEE, Secy.

राज्य सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 1972

सा०का०नि० 300(अ).—संसद् सदस्यों के सम्बलमों और भत्तों से सम्बन्धित अधिनियम, 1954 (1954 का 30) की धारा 9 कीउप-धारा (1) के खण्ड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस धारा की उप-धारा (1) के अधीन गठित संयुक्त समिति, केन्द्रीय सरकार से परामर्श करके, आवास और टेलीफोन सुविधा (संसद् सदस्य,) नियम, 1956 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, जिनको उक्त धारा की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार राज्य सभा के सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित और पुष्ट कर दिया गया है, अर्थात् :—

1. इस नियम का नाम आवास और टेलीफोन सुविधा (संसद् सदस्य) संशोधन नियम, 1972 होगा ।

2. आवास और टेलीफोन सुविधा (संसद् सदस्य) नियम, 1956 में, नियम 2 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2क. किसी सदस्य की मृत्यु के पश्चात् परिवारी आवास रहने रहना.—यदि किसी सदस्य की उसकी पदावधि के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के सदस्य उस आवास को उसी किराये की दर पर जो उस सदस्य द्वारा अपनी मृत्यु से ठीक पूर्व देय थी, अधिकतम दो मास की अवधि तक रखे रहने के लिए हकदार होंगे जिसके पश्चात् आवंटन रद्द हुआ समझा जाएगा ।

[सं० आर० एस० 8/72—एम० एस० ए०]

बी० एन० बनर्जी, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972